

श्रीमती हमा प्रसाद अंजलि अधिकारी सह प्रमाण-पत्र पदाधिकारी का  
बोलेयापुर  
न्यायालय, धनबाद

401

BR-6-0694

~~17/9~~

समाप्त

प्रमाण-पत्र वाद सं: 28/09-10

17/9  
28/09-10  
Entry

DISPOSAL  
05/10/2018

श्री नरेंद्र गडाई पिता स्वर्ण मिश्र गडाई  
ग्राम काशी पौठमौलीनगर थाना खिन्धी  
जिला धनबाद के 10800/- रुपये की

वसूली हेतु अधियाचन पत्र दाख किया है। इनमें संलग्न विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मांग वसूली योग्य है। इसकी वसूली विधि वर्जित नहीं है। लोक मांग वसूली अधिनियम का धारा 5 के अन्तर्गत में सन्तुष्ट हूँ। इसे पंजी 10 में दर्ज करें।

धारा-7 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र देनदार के विरुद्ध सूचना जारी करें। अभिलेख दिनांक 12-10-09 को प्रस्तुत करें।

श्रीमती अश्लीष उपलक्षित  
15/10/18

~~वेकिल~~ इस अधिपानी पत्र 10,800/- रुपये की वसूली हेतु  
कानूनपरक पत्र दाख किया गया है। देनदार को धारा-7 के अन्तर्गत  
वसूली हेतु निर्णय के तहत प्रमाण-पत्र अधिनियम 5/19 के तहत  
19/10/18

प्रमाण-पत्र पदाधिकारी  
बोलेयापुर  
धनबाद।

12/10/18

अभिलेख उपलब्ध है। अभिलेख के अनुसार  
इसलिए होता है कि कार्यालय का नामित  
उत्तरदाता है।

अतः देणदार को बचाना सचिव  
की वकूली हेतु चेतावनी गोरक्ष निगम को  
तथा अभिलेख दिनांक 5/11/18 को उपलब्ध  
करें।

अं. 30  
23-12-18  
अ. 30  
वर्तमान

5/11/18

अभिलेख उपलब्ध है। देणदार को सचिव  
व्यक्ति Penalty के तहत परीक्षण कार्य का  
नहीं होना का ध्यान देना है। देणदार को  
जा. कार. के संबंध में Receipting न कर, का ध्यान  
परिष्कार पत्र के अनुसार - का ध्यान पूर्व में  
प्रस्तुत है। अतः इसके द्वारा अभिलेख की  
कारिदायी जांच का न होना, यह है। अतः  
प्राप्त करीब अभिलेख के संबंध में

समाप्त हो जाती है। अतः अभिलेख की कारिदायी

अं. 30  
5/11/18  
वर्तमान